बिहार सरकार

मद्य निषेद्य, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

(निबंधन)

अधिसूचना

पटना, दिनांक– 08.05.26

एस0ओ0सं0– IV / छूट–12–07 / 2026 2629, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा–78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, पीरपैंती (भागलपुर) में थर्मल पावर परियोजना के अधिष्ठापन हेतु अधिग्रहित 1020.60 एकड़ भूमि 33 (तैतीस) वर्षों के लिए लीज पर अंतरित किये जाने संबंधी दस्तावेज के निबंधन पर प्रभार्य निबंधन शुल्क की शत–प्रतिशत छूट प्रदान करते हैं।

2. यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अजय यादव)
सरकार के सचिव।

एस.ओ.सं0– IV / छूट–12–07 / 2026 2629 पटना, दिनांक– 08.05.26

प्रतिलिपिः–उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के सचिव।

Government of Bihar

Department of Prohibition, Excise & Registration

(Registration)

Notification

Patna, Dated : 08.05.26

S.O.No.- IV / छूट–12–07 / 2026 2629 In exercise of the powers conferred by Section-78 of the Registration Act, 1908, the Governor of Bihar is pleased to exempt fully, the registration fee, chargeable on registration of lease document related to transfer of 1020.60 acres of land for Installation of a Thermal Power Project at Pirpainti, Bhagalpur for 33(Thirty three) years.

2. It shall come into force with immediate effect.

By the Order of the Governor of Bihar,

(Ajay Yadav)
Secretary to the Government.

ज्ञापांक– IV / छूट–12–07 / 2026 2629 पटना, दिनांक– 08.05.26

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित / अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–800007 को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– IV / छूट–12–07 / 2026 2629 पटना, दिनांक– 08.05.26

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– IV / छूट–12–07 / 2026 2629 पटना, दिनांक– 08.05.26

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, / सभी अपर मुख्य सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक / माननीय मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आप्त सचिव / मुख्यालय स्थित सभी विभागीय पदाधिकारी / सहायक निबंधन महानिरीक्षक (सभी प्रमण्डल) / जिला अवर निबंधक (सभी) / कोषागार पदाधिकारी (सभी) एवं अवर निबंधक (सभी) को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।